posts have been sanctioned from time to time and, since this is an ongoing exercise, the Ministry is in regular touch with the concerned agencies for further increase in posts in view of the sharp increase in the workload in Indian Consular Sections in certain Missions with larger number of Indian nationals working abroad.

Alleged Malpractices in MTNL

951. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to press reports about losses worth crores of rupees every month to the exchequer caused by MTNL by paying overtime allowance and honararium to its sub-ordinate staff;

(b) if so, whether investigations have been made into such malpractices and whether any action has been taken against the officials responsible for these losses; and

(c) the steps being taken to stop such malpractices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Since the formation of the MTNL on 01.04.86, the telecommunication network in Delhi has expanded from 3.3 lakh lines to more than 1.1 million as on 31.03.95 i.e. by 242% However, the number of employees has remained almost same. To cope up with the extra work load relating to expansion, operations and maintenance, the staff had to perform work beyond normal duty hours. This had to be compensated by grant of OTA & honararium as per rules. The overtime allowance & honararium are sanctioned by officers incharge depending upon the exigencies of work. The cost of salary & wages which includes, inter-alia, honararium & OTA has decreased from 25.15% in 1986-87 to 14.37% in 1994-95 of the total expenditure of the MTNL.

पूर्वी राज्यों के विकास के लिए विशेष कोष

952. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी राज्यों के विकास के लिए कोई विशेष कोष बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष से सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

मूल और सैल्यूलर टेलीफोन सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क में कमी

953. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने गैर-सरकारी सैल्यूलर प्रचालकों के लिए किराये और पंजीकरण शुल्क में लगभग 80 प्रतिशत की कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और विभाग के राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) क्या सैल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए वित्तीय बोलियां लगाई जा चुकी हैं;

(घ) यदि हां, तो सफल बोलीदाताओं के नाम क्या हैं और उन्हें कौन-कौन से क्षेत्र आबंटित किये गये हैं; और

(ङ) ये फर्में किन-किन शर्तों पर इन सेवाओं का संचालन करेंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं। "जक्शनों" के किरायों में कोई कमी नहीं की गई है। तथापि, "निजी सैल्यूलर प्रचालकों की जंक्शन लाइनें देने हेतु पंजीकरण शुल्क 15,000/-रुपए से घटाकर, 3,000/-रुपये कर दिया गया है"।

(ख) इससे विभाग के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजीकरण शुल्क, सुविधा मिलते ही, किराये में समायोजित करना होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) सफल बोलीदाताओं के नाम तथा उन्हें प्रस्तावित सेवा क्षेत्र विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ङ) "सैल्यूलर सचल टेलीफोन-सेवा" की रचालन-शर्तें विवरण-II में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

विवरण-I

बोलीदाता "कम्पनियां के नाम सैल्यूलर सचल टेलीफोन-सेवा" हेतु प्रस्तावित सर्किल

क्रम सं०	बोलीदाता कम्पनी/विदेशी सहयोगियों का नाम	प्रस्तावित प्रादेशिक दूरसंचार सर्किल
1	2	3
1.	मोबाइल/टेलिया, स्वीडन	आंध्र प्रदेश, पंजाब
2.	मोदीकॉम/वैन्गार्ड, यू एस ए	पंजाब, कर्णाटक
3.	बिरला कॉम/एटी एण्ड टी, यू एस ए	गुजरात, महाराष्ट्र
4.	यू एस वेस्ट-बी पी एल टेलीकॉम/यू एस वेस्ट, यू एस ए	तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र
5.	एयरसेलडिजिलिंग/स्विस पीटीटी, स्विट्जरलैंड	हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश
6.	ऐस्कोटैल/फर्स्ट पैसिफिक, हांगकांग	पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल
7.	कोशिका टैलीकॉम/फिलिपीनी टैलीकॉम, फिलिपीन्स	पूर्वी एवं प० उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार
8.	हिंदुजा एच सी एल/सिंगापुर टैलीकॉम, सिंगापुर	तमिलनाडु
9.	सैल्यूलर कॉम/एयरटच, यू एस ए	मध्य प्रदेश
10.	रिलायंस टैलीकॉम/नमिनैक्स, यू एस ए	मध्य प्रदेश, प० बंगाल, उड़ीसा, बिहार उत्तर पूर्व, असम हिमाचल प्रदेश
11.	हैक्साकॉम/कुवैत मोबाइल, कुवैत	पूर्वोत्तर, राजस्थान
12.	भारतीय टैलीनैट स्टैट, इटली	हिमाचल प्रदेश
13.	टाटाकॉम/बैल, कनाडा	आंध्र प्रदेश
14.	फासेल/बिजैक-इजरायल लि०	गुजरात

विवरण-II

क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा की मुख्य शर्तें एवं निबंधन

1. बोलीदाता कम्पनी अपनी बोली प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पंजीकृत भारतीय कम्पनी होनी चाहिए।

2. बोलीदाता कम्पनी की कुल इक्विटी में 49 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्वटी नहीं होनी चाहिए।

3. बोलीदाता कम्पनी और इसके भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रवर्तकों की निवल पूंजी सर्किल की श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए।

"क" "ख" एवं "ग" सर्किल	— 100 करोड़ रु०
"ख" एवं "ग" सर्किल	— 50 करोड़ रु०
"ग" सर्किल	— 30 करोड़ रु०

यदि बोलीदाता कम्पनी की इक्विटी पूंजी में विदेशी प्रवर्तक का हिस्सा 10 प्रतिशत से कम है तो उसकी निवल पूंजी को महत्व नहीं दिया जाएगा।

4. बोलीदाता कम्पनी के नेटवर्क में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा की कम से कम एक लाख लाइनों का उपभोक्ता आधार होना चाहिए तथा उसे 1.1.95 को सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क के प्रचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

5. बोलीदाता कम्पनी के अनुभव में, सेल्यूलर सचल नेटवर्क का प्रचालन करने वाली उस भारतीय या प्रवर्तक कम्पनी का अनुभव भी शामिल किया जाएगा जिसकी बोलीदाता कम्पनी में इक्विटी भागीदारी 10 प्रतिशत या इससे अधिक है।

6. प्रारम्भ में लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष की होगी जिसे बाद में एक बार में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने या लाइसेंस के प्रभाव में आने की तारीख से 12 माह के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा प्रदान करेगा।

8. सेवा, समूह विशेष सचल या विश्वजनीन सचल संचार (जी एस एम) के मानकों के अनुरूप होगी।

9. ये सेवाएं दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क-दर के भीतर प्रदान की जाएगी।

10. लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता, दूरसंचार विभाग की देय "एक्सेस एवं जंक्शन-प्रभारों" के अलावा, दूरसंचार प्राधिकरण को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।

11. लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता बेतार लाइसेंस शुल्क, डब्ल्यू पी सी रॉयल्टी, जी एम एस समझौता ज्ञापन संबंधी प्रभारों आदि का भी भुगतान करेगा।

12. लाइसेंस, गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे।

दिल्ली में बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं

954. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में प्रतिवर्ष बच्चों के यौन शोषण की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) सरकार ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या वर्तमान कानून में बच्चों के यौन शोषण के संबंध में कोई अलग प्रावधान मौजूद है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राजय मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992, 1993 और 1994 के दौरान दिल्ली में दर्ज की गई बच्चों की यौन-शोषण की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या
1992	185
1993	221
1994	226

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) माता-पिता को यह सिखाने के लिए कि वे बालिकाओं की बेहतर देखभाल करें और बोल-शोषण से बचें, एक जागरूकता कार्यक्रम शुरु किया गया है।

(ii) महिला अपराध प्रकोष्ठ द्वारा स्कूलों, कालेजों और आवासीय कालोनियों में महिलाओं एवं लड़कियों को निशस्त्र मुकाबले में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी आत्म-रक्षा क्षमताओं में सुधार लाया जा सके।

(iii) स्कूल जाने वाले बच्चों के संबंध में कुछ सुरक्षा-उपाय करने के लिए अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है।

(iv) रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से स्थानीय पुलिस अधिकारी, यह बताने के लिए जनता के साथ बैठकें कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को अजनबियों अथवा पड़ोसियों से उपहार और मिठाई आदि लेने के लालच में न पड़ने दें। जनता को बालिकाओं की विशेष देखभाल की सलाह देने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए हैं

(v) ऐसे अपराधों से संबंधित सभी रिपोर्टें तुरन्त दर्ज की जाती है और अपराधियों को दंडित